संख्या- 4014/15-7-93-16(114)/1992

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 8 सितम्बर, 1993

विषय:- हैरो प्रीपेटरी स्कूल रामपुर बाग बरेली को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हैरो प्रीपेटरी स्कूल रामपुर बाग बरेली को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व से विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5) संस्था शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

......2/-

PRINCIPAL
HARROW SCHOOL
BAREILLY

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- (क) उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र विद्यालय प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर दिया जा रहा है कि विद्यालय में सभी अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित कार्यरत है । अतः प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बद्धता प्रदान किये जाने के पूर्व आप द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्था में कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका कार्यरत नहीं है तथा विद्यालय में मानकानुरूप शिक्षण कक्ष तथा अन्य कक्ष उपलब्ध है ।

(ख) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्था में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन नियमानुसार/मानकानुरूप दिया जा रहा है ।

(ग) अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रस्तुत आदेश संबंधित विद्यालय द्वारा दायर की गई मा० उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका संख्या 42634/92 हैरो प्रीपेरेटरी स्कूल बरेली बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य में होने वाले अंतिम निर्णयों आदेशों के अधीन होगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

पृ०सं० 40 1411(1)/15-7-1993 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विद्यालय में कार्यरत स्टाफ के संबंध में अभिलेखों का सत्यापन कर आख्या शासन को 15 माह के भीतर उपलब्ध करायें ।

PRINCIPAL
HARROW SCHOOL
BAREILLY

2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक बरेली ।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ।

4- निदेशक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- प्रबन्धक, हैरो प्रीपेरेटरी स्कूल बरेली ।

6- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद को रिट संख्या-42854/92 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

PRINCIPAL
HARROW SCHOOL
BAREILLY